15. Dave & Girish & Co., Mumbai and Lovell White Durrant, UK.
16. Fox Mandal & Company, New Delhi and Slaughter & May, Singapore.
17. Udwadia, Udeshi & Berjis, Mumbai and Allen & Overy, UK.
18. Wadhia Ghandy & Co., Mumbai, Rao & Joshi & Associates, Bangalore and Desai & Savla, New Delhi.
19. Dention Hall, UK and Rajinder Narain & Company, New Delhi.
20. Singhania & Co., New Delhi and Stikeman Elliot, Canada.
21. Ajay Bahl & Co., New Delhi and Winthrop, Stimpson, Putnam, & Roberts, USA.
22. Dua Associates, New Delhi and Clayton UTZ, Australia.
23. Bhasin & Co., New Delhi and Herbert Smith, London.
24. Rowe & Maw, London and Goswami Associates, New Delhi.
25. Associated Law Advisors, New Delhi and Nicholson Graham & Jones, UK.
26. Crawford Bayley & Company, Mumbai and Watson Farley & Williams, UK.
27. Ashurst Morris Crisp, New Delhi and M.G. Ramachandran & Associates.
28. Garrets, UK and Khaitan & Co..
29. WSP Group PLC., UK, London Luton Airport, UK and Engineers & Management Associates, New Delhi.
30. Linklaters & Paines, UK and LTTLe & Company, Mumbai.
31. Dr. V.K. Aggarwal, New Delhi.
32. Suri & Company, New Delhi and Camerom MC Kenna, UK.
33. Australian Government Solicitor, Melbourne.

Amendment of Law on Adultery

*289. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Law on adultery is discriminatory towards a married woman;

(b) if so, the discriminations noticed in IPC (Section 497 and 377); and

(c) the steps proposed to amend the law immediately?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) and (b) It is not correct to say that Section 497 and 377 of the Indian Penal Code are discriminatory to married women. The Law Commission of India in its 156th Report on the Indian Penal Code (Volume I) has made recommendations proposing amendments to sections 497 and 377 of the Indian Penal Code so as to bring in the concept of equality between the sexes and provide mandatory punishment where unnatural offences are committed on a person under the age of 18 years.

(c) The criminal laws being in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs have stated that they have called for the views of the State Governments on the Report of the Law Commission.

यू०बी०आई०, यूको तथा बैंक ऑफ इंडिया को हुए घाटे

*290. **श्री रामजीलाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त, 1998 की अपनी रिपोर्ट में यूको बैंक, बैंक आफ इंडिया और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निरन्तर घाटे में चलने पर चिन्ता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों को प्रतिवर्ष कितना-कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार ने घाटे को दूर करने के लिए उक्त बैंकों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) वित्त संबंधी स्थायी समिति ने जुलाई, 1998 की अपनी रिपोर्ट में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक तथा इंडियन बैंक को हुए घाटे के संबंध में टिप्पणियां की हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन बैंकों को हुए घाटे निम्नानुसार थे:—

क्रम सं०	बैंक का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	इंडियन बैंक	1336.40	389.09	301.50
2.	यूको बैंक	236.66	176.23	96.22
3.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	234.46	11.364	—

(बैंक आफ इंडिया को पिछले तीन वर्ष के दौरान कोई घाटा नहीं हुआ)

यद्यपि इन बैंकों ने घाटा दिखाया है, फिर भी उनमें इधर कुछ वर्षों में कुछ सुधार दिखा है क्योंकि उनकी निवल हानियों में कमी आई है।

जबकि अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) का उच्च स्तर हानियों का एक कारण, दूसरे कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ उच्च प्रशासनिक तथा परिचालनात्मक खर्चे, कम उत्पादकता, घाटा देने वाली शाखाओं की बड़ी संख्या, अपेक्षित स्तर तक प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण न किया जाना शामिल है। इंडियन बैंक के मामले में अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करना, पिछले वर्षों के दौरान अनुपयोज्य आस्तियों के लिए बैंक द्वारा किए गए कम प्रावधानों के कारण अतिरिक्त प्रावधान करना, वाई टी एम (परिपक्वता पर देय) में वृद्धि के कारण बकायों के भुगतान तथा वेतन पुनरीक्षणों के कारण बकायों के भुगतान वर्ष 1995-96 के दौरान हानि के उच्च स्तर के अन्य कारण थे। बैंकों को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करने, न कि उनकी हानियों को प्रत्यक्षतः कम करने के लिए पुनर्पूंजीकरण के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी प्रदान की गई थी।

(ग) बैंक के समग्र कार्यकरण में सुधार लाने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत बनाने, उसकी स्पष्ट ऋण तथा वसूली नीति निर्धारित करने वसूली दक्षों की स्थापना और वरिष्ठ स्तर पर तथा समय सीमा के भीतर वसूली की निगरानी, ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना, बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाना, ऋण मूल्यांकन योजना के उन्नयन जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिससे लाभप्रदता, में वृद्धि होगी।

1. कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों से कहा गया है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने पुनरुज्जीवन के लिए कार्यनीतियां तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। पुनरुज्जीवन की कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भी इन बैंकों के साथ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप प्रदान करता है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनरुज्जीवन के लिए निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम०एस०वर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया है:—

(क) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पहचान के लिए मानदंड;

(ख) कमजोर बैंकों की समस्याओं का अध्ययन एवं जांच;

(ग) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की अलग-अलग मामले में के आधार पर जांच करना तथा उन बैंकों की पहचान करना जो संभावित रूप से पुनरुज्जीवित किए जाने योग्य हों;

(घ) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के वित्तीय, संगठनात्मक और परिचालनात्मक पुनर्गठन की कार्यनीतिक योजना सुझाना।

राजस्व में अपना हिस्सा बढ़वाने के लिए राज्य सरकारों की मांग

*291. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार विभिन्न राज्य राजस्व में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग के किसी सुझाव पर आधारित इस प्रकार की कोई मांग नहीं है क्योंकि आयोग की सिफारिशें अभी तक प्रतीक्षित हैं, आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केवल 31 दिसम्बर 1999 तक प्रस्तुत की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों में धांधली तथा धोखाधड़ी के मामले

*292. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ष 1996-97 तथा 1998-99 की अवधि के दौरान, वर्ष-वार धोखाधड़ी तथा धांधली के कितने मामलों का पता लगा है;

(ख) इस प्रकार प्रभावित हुए बैंकों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के क्रियाकलापों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 से 1998-99 (सित० 1998 तक) धांधली के मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिऐ)

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने धोखाधड़ियों को रोकने के लिए समय-समय पर कई उपाए किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं:— बैंकों में नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक मार्गनिर्देश जारी किया जाना, धोखाधड़ी के मामलों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा, बैंकों को विशिष्ट मामलों में अपेक्षित सुरक्षोपायों सहित उनकी पुनरावृत्ति रोकने की कार्य प्रणाली के बारे में परामर्श देना, परिचालन कार्मिकों का उचित प्रशिक्षण और प्रमुख धोखाधड़ियों के सूचित मामलों की जांच एवं संवीक्षा तथा धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अचानक निरीक्षण, जिसमें प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा आंतरिक व्यवस्था का निरीक्षण शामिल है।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता तंत्र है, जिसके प्रमुख केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। यह सतर्कता तंत्र निवारक उपाय करने के लिए उत्तरदायी है ताकि बैंक अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों और भ्रष्ट आचरण को रोका जा सके।

जब किसी बैंक द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है, तब उसकी प्रारंभिक जांच की जाती है। उसके निष्कर्षों के आधार पर, यह निर्णय लिया जाता है कि क्या विभागीय रूप से पूरी जांच की जाए अथवा मामले को स्थानीय पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। सामान्यता, दस लाख रुपए से अधिक के मामले जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाते है। आंतरिक जांच के बाद अथवा पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर बैंक, जहां कहीं आवश्यक होता है, नियमित विभागीय कार्रवाई करते है और धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों को दण्ड देते हैं। पुलिस तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी अभियोजन के लिए अदालतों में मामले दायर करते हैं।